पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अंतर्गत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2021–22 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखा परीक्षा करने का भी अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रुप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

[1] 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक अंतिमीकृत/जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान

31 मार्च 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 30 पीएसयूज (29 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम[2]) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

राज्य के 30 पीएसयूज में से 28 पीएसयूज (27 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो[3] पीएसयूज निष्क्रिय थे। इन 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2022 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तीन पीएसयूज जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (दो पीएसयूज[4]) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयू[5]) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है (***परिशिष्ट 5.1***)।

पीएसयूज के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 25 पीएसयूज को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 25 पीएसयूज का टर्नओवर (₹42,147.03 करोड़) वर्ष 2021–22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹4,00,061 करोड़) का 10.53 प्रतिशत था। 2021–22 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है **(तालिका 5.1)**।

तालिका 5.1: वर्ष 2021–22 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	6	23,936.59	5.98
2	अधोसंरचना	5	92.87	0.02
3	वित्त	1	2.77	0.00
4	कृषि और संबद्ध उद्योग	2	674.20	0.17
5	सेवाएं	9	17,431.93	4.36
6	अन्य	2	8.67	0.00
	योग	**25**	**42,147.03**	**10.53**

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 30 कम्पनियों (29 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2022 को पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 5.2** में प्रस्तुत की गई है।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।

[3] छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।

[4] छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड ।

[5] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयूज का प्रकार	पीएसयूज की कुल संख्या	30 सितंबर 2022 की स्थिति में पीएसयूज द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2021–22 के लेखें	2020–21 के लेखें	2019–20 के लेखें	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	27	6	13	8	27	21 (35)
सांविधिक निगम	1	–	1	–	1	1 (1)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**28**	**6**	**14**	**8**	**28**	**22 (36)**
निष्क्रिय पीएसयूज	2	–	1	1	2	2 (4)
योग	**30**	**6**	**15**	**9**	**30**	**24 (40)**

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

पीएसयूज जिनका वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2022 तक लंबित है, का विवरण ***परिशिष्ट 5.1(बी)*** में दिखाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 25 पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश **तालिका 5.3** में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयूज की कुल संख्या	30
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की संख्या	25
प्रदत्त पूँजी (25 पीएसयूज)	₹6,903.31 करोड़
दीर्घावधि ऋण (25 पीएसयूज)	₹12,044.02 करोड़
शुद्ध लाभ (11 पीएसयूज)	₹932.01 करोड़
शुद्ध हानि (11 पीएसयूज)	₹439.99 करोड़
शून्य लाभ/हानि (तीन पीएसयूज)	–
घोषित लाभांश (दो पीएसयूज)	₹3.84 करोड़
निवल मूल्य (25 पीएसयूज)	₹2,808.33 करोड़

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2022 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.82	707.14	7,379.96	6,672.82	724.83	7,397.65	6,672.82	758.36	7,431.18
केन्द्र सरकार	25.42	286.53	311.95	25.42	292.78	318.20	25.42	158.89	184.31
अन्य	315.46	11,795.90	12,111.36	315.46	12,847.58	13,163.04	315.46	12,460.72	12,776.18
योग	**7,013.70**	**12,789.57**	**19,803.27**	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**	**7,013.70**	**13,377.97**	**20,391.67**
कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	95.14	5.53	37.26	95.14	5.23	35.43	95.14	5.67	36.44

स्रोतः 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान इन पीएसयूज में कुल निवेश में 2.97 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2022 की स्थिति में, राज्य के 30 पीएसयूज के कुल निवेश में अंश पूँजी 34.39 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 65.61 प्रतिशत था। राज्य के 30 पीएसयूज में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹917.25 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,460.72 करोड़ शामिल थे (*परिशिष्ट 5.2*)।

5.6.2 सम्पत्तियों की पर्याप्तता

शोधनक्षम माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2022 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम इस मानदंड को पूरा नहीं करता हैं **(तालिका 5.5)**।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	9	11,375.84	46,011.08	404.46	1	1,681.43	1,065.38	63.36
सांविधिक निगम	1	88.99	1139.61	1280.60	–	–	–	–

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण **तालिका 5.6** में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[6]	2019-20		2020-21		2021-22		योग
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	राशि
(i) ऋण	2	51.89	1	62	2	101.51	215.40
(ii) अनुदान/सब्सिडी	11	9,546.26	9	8,445.74	10	7,226.58	25,218.58
बहिर्गमन का योग (i+ii)	**13**	**9,598.15**	**10**	**8,507.74**	**12**	**7,328.09**	**25,433.98**
बकाया गारंटी	4	3,764.41	2	3,426.34	3	5,013.25	–
गारंटी प्रतिबद्धता	4	6,752.59	3	6,682.28	3	11,907.28	–

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2019–20 में ₹9,598.15 करोड़ से घटकर 2021–22 की अवधि के दौरान ₹7,328.09 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए ऋण (₹12.52 करोड़) व छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम को गोदाम निर्माण के लिए ऋण (₹88.99 करोड़) के रूप में बजटीय सहायता दी गई थी। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा (₹4,249.09 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं यथा एकल बल्ब कनेक्शन, कृषि पंप को बिजली की मुफ्त

[6] राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना, आधी बिजली बिल योजना, कृषि पंप को ऊर्जान्वित करना इत्यादि के कार्यान्वयन एवं राजस्व सब्सिडी के लिए तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹2,406.21 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था। 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान कुल बजटीय सहायता (ऋण और सब्सिडी/अनुदान) ₹25,433.98 करोड़ में से ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.40 प्रतिशत (₹13,834.83 करोड़) थी।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज द्वारा 2021–22 में अर्जित लाभ ₹932.01 करोड़ रुपये था, जबकि 2019–20 में 14 पीएसयूज ने ₹683.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। लाभ में वृद्वि का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानि में कमी ₹972.64 करोड़ (2019–20) से ₹419.77 करोड़ (2021–22) होना और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के लाभ में वृद्वि ₹402.68 करोड़ (2019–20) से ₹570.38 करोड़ (2021–22) होना था। वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज को **तालिका 5.7** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयूज जिन्होंने वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित किया

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	30.26	11.56	11.56
2	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	8.39	5.38	8.35
3	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	11.76	11.76	11.76
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	14.75	24.09	24.09
5	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	0.34	0.34	0.34
6	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	7.32	7.32	7.32
7	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	123.04	143.04	143.04
8	केरवा कोल लिमिटेड	0.05	0.28	0.07
9	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	402.68	196.63	570.38
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	78.13	153.90	153.90
11	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	1.53	1.20	1.20
योग		**678.25**	**555.50**	**932.01**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की गयी थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयूज को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

21 पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था, का लाभांश भुगतान **तालिका 5.8** में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयूज के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयूज जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयूज जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निवेश पूँजी	पीएसयूज की संख्या	लाभ	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2019–20	21	6,671.07	13	950.52	2	3.84	0.48
2020–21	21	6,671.07	14	697.51	2	3.84	0.72
2021–22	21	6,666.97	10	931.94	2	3.84	0.41

इन 21 पीएसयूज में से 10 पीएसयूज ने कुल ₹931.94 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया।

5.8 ऋण का भुगतान

5.8.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2019–20	1547.68	1325.9	9	7	2
2020–21	1834.67	2006.91	11	7	4
2021–22	1690.48	2249.32	11	8	3

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि ब्याज भार वाले 11 पीएसयूज में से एक पीएसयू (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का आईसीआर 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान एक से कम था। एक से कम आईसीआर वाले पीएसयूज की संख्या में छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड सम्मिलित है।

5.8.2 छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का राज्य और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों को बकाया

छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की आपूर्ति के व्यवसाय में शामिल है। अपने विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने और सरकार की जनता को बिजली आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, सीएसपीडीसीएल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (एनटीपीसी, एसईसीआई, एनएचपीसी और एनपीसीआईएल) और अन्य निजी एजेंसियों से बिजली खरीदता है। 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान वर्ष के अतं में सीएसपीडीसीएल के द्वारा बिजली की खरीदी के लिए देय राशि निम्न तालिका में दी गई हैः

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	विद्युत खरीदी के एवज मे देययोग्य राशि (राशि ₹ करोड़ में)		
		31.03.2020 तक	31.03.2021 तक	31.03.2022 तक
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	3613.73	3409.21	4008.54
2	एनटीपीसी	201.21	1621.68	1618.17
3	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	29.91	29.24	45.25
4	राष्ट्रीय जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	1.00	6.67	9.97
5	एनटीपीसी–एसएआईएल विद्युत कम्पनी	12.70	19.44	19.85
6	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	18.65	9.53	15.61
	राज्य और केन्द्र के उत्पादन कम्पनी के कुल बकाया	**3877.20**	**5095.77**	**5717.39**
7	अन्य	853.37	1108.69	1102.66
महायोग		**4730.57**	**6204.46**	**6820.05**

जैसा की उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि राज्य और केंद्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनी को देय कुल बकाया राशि 2019–20 में ₹3877.20 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹5717.39 करोड़ हो गई है। 31 मार्च 2022 तक कुल ₹5717.39 करोड़ की बकाया राशि में से ₹4008.54 करोड़ (कुल राज्य और विद्युत उत्पादन कम्पनी का 70 प्रतिशत) का बड़ा भाग राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड अर्थात् सीएसपीजीसीएल से संबंधित है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं को रियायती बिजली उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत की है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीएसपीडीसीएल को सब्सिडी प्रदान करती है। बकाया सब्सिडी की बड़ी राशि देखते हुए जीओसीजी द्वारा सीएसपीडीसीएल की ओर से सीएसपीजीसीएल (24 मई 2022) को ₹1000 करोड़ प्रदान किए गये, जिसे जीओसीजी की बकाया राशि से समायोजित किया जाना है।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2022 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 11 पीएसयूज ने कुल ₹932.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 2021–22 के दौरान लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयूज, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹153.90 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (₹143.04 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹419.77 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के नौ उपक्रमों ने

केवल अपने परिचालन[7] से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[8] से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5 = 3/4*100
लाभार्जन करने वाले	2019–20	14	1879.8	16105.24	11.67
	2020–21	11	1633.85	15655.25	10.44
	2021–22	11	1866.89	15776.44	11.83
हानि वहन करने वाले	2019–20	8	–494.79	–906.97	54.55
	2020–21	11	393.91	–1174.13	–33.55
	2021–22	11	394.13	–1176.01	–33.51
शून्य लाभ/हानि वाले	2019–20	3	0	200.93	0.00
	2020–21	3	0	201.54	0.00
	2021–22	3	0	201.54	0.00
कुल	**2019–20**	**25**	**1385.01**	**15399.20**	**8.99**
	2020–21	**25**	**2027.76**	**14682.66**	**13.81**
	2021–22	**25**	**2261.02**	**14801.97**	**15.28**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 8.99 प्रतिशत से बढकर 15.28 प्रतिशत हो गया। **(तालिका 5.10)**।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2022 की स्थिति में पर 25 पीएसयूज में राज्य सरकार का ऐतिहासिक लागत के आधार कुल निवेश ₹ 20,049.57 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई **तालिका 5.11** में दी गई है।

[7] परिचालन गतिविधियों से लाभ= टर्नओवर –कुल व्यय।

[8] नियोजित पूंजी= प्रदत्त अंशपूंजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/–संचित हानियां। आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	आर ओ आर आर (प्रतिशत में)
सरकारी कम्पनियाँ						
2019–20	7,263.70	311.95	11,773.29	19,348.94	–165.78	–0.9
2020–21	7,325.70	318.20	12,824.97	20,468.87	–422.34	–2.1
2021–22	7,334.32	184.31	12,437.91	19,956.54	348.98	1.75
सांविधिक निगम						
2019–20	114.31	0.00	2.02	116.33	138.69	119.2
2020–21	70.00	0.00	2.02	72.02	138.69	192.6
2021–22	91.01	0.00	2.02	93.03	143.04	153.76
महायोग						
2019–20	**7,378.01**	**311.95**	**11,775.31**	**19,465.27**	**–27.09**	**–0.1**
2020–21	**7,395.70**	**318.20**	**12,826.99**	**20,540.89**	**–283.65**	**–1.4**
2021–22	**7,425.33**	**184.31**	**12,439.93**	**20,049.57**	**492.02**	**2.45**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल –2.1 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 119.2 प्रतिशत से 192.6 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई।

इन पीएसयूज में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2022 की स्थिति में की गई है जहॉ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रुप में निवेशित किया है।

- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयूज द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयूज द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।

- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रुप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रुप में माने जाने योग्य नहीं है।

- सम्बन्धित वर्ष[9] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रुप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई

[9] सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/{(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रुप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 5.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण/ बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतारित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ -च+ छ)	झ=ख+ज	ट	ठ = (झ* ट)+ झ	ड = झ* ट%	ढ	त=ढ* 100/झ
2016–17 तक	4483.97	6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	6.62	14538.38			
2017–18	14538.38	21.6	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018–19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.1	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019–20	18429.89	0	–57.77	0	271.8	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	–303.84	–1.63
2020–21	19917.29	0	0	0	331.89	331.89	20249.18	6.57	21579.56	1330.37	115.27	0.57
2021–22	21579.56	0.00	0	0	806.55	806.55	22386.09	6.4	23818.80	1432.71	492.02	2.19
योग		**6670.87**	**376.96**	**20.11**	**5287.72**	**12315.44**						

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2021–22 के अंत में राज्य सरकार का 24 पीएसयूज में कुल निवेश ₹12,315.44 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,670.87 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹376.96 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान/सब्सिडी (₹5,287.72 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹23,818.80 करोड़ की गई। प्रतिफल बढ़ रहा है और 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान सकारात्मक हो गया।

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियाँ

मार्च 2022 के अंत में 11 पीएसयूज ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियाँ वहन की। इन पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियाँ 2019–20 में ₹987.16 करोड़ से घटकर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹439.99 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे **तालिका 5.13** में दिया गया है।

तालिका 5.13: 2019–20 से 2021–22 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य
सरकारी कम्पनियाँ				
2019–20	8	–987.16	–7281.05	–4960.54
2020–21	11	–440.23	–7916.11	–5564.17
2021–22	11	–439.99	–7917.99	–5566.05
सांविधिक निगम				
2019–20	–	–	–	–
2020–21	–	–	–	–

2021–22	–	–	–	–
कुल				
2019–20	**8**	**–987.16**	**–7281.05**	**–4960.54**
2020–21	**11**	**–440.23**	**–7916.11**	**–5564.17**
2021–22	**11**	**–439.99**	**–7917.99**	**–5566.05**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2021–22 में, 11 पीएसयूज द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹439.99 करोड़ में से, ₹419.17 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू[10] द्वारा किया गया था।

5.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹7,064.08 करोड़ के विरुद्ध, 30 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित हानि ₹ 4,163.97 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2022 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,900.11[11] करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹419.77 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2022 की स्थिति में ₹7710.10 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

तालिका 5.13: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण जिनकी निवल मूल्य उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार कम हो गई है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू के नाम	अंतिमीकृत लेखों का नवीनतम वर्ष	कुल प्रदत्त पूँजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	संचित हानि	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार की ऋण
1	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020–21	4.43	(–) 0.47	205.35	(–) 199.97	4.43	0.00
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020–21	2263.10	(–) 419.77	7710.10	(–) 5425.83	2263.10	21.17
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2020–21	0.05	(–) 2.35	17.59	(–) 17.54	0.05	0.00
4	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम	2020–21	1.00	(–) 6.95	7.83	(–) 6.69	1.00	379.99
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019–20	0.10	(–) 0.39	1.18	(–) 1.08	0.10	0.00
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019–20	0.10	(–) 6.71	6.72	(–) 6.62	0.10	0.00
7	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017–18	1.60	(–) 2.47	8.19	(–) 6.59	1.60	0.00

30 पीएसयूज में से सात[12] पीएसयूज के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सात कंपनियों में से किसी ने भी नियत तारीख यानी 30 सितंबर 2022 के भीतर वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

[10] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

[11] प्रदत्त पूँजी प्लस डिफॉल्टेड ऋण ₹7,064.08 करोड – संचित हानि ₹4,163.97 करोड = ₹2900.11 करोड

[12] छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

5.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंर्तगत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते है तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रुप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रुप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनियाँ अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों (छत्तीसगढ़ राज्य राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को छोड़कर) के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2022 तक की गई थी।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिए भी उनके संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदानुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल है, कारावास एवं दंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2022 की स्थिति में नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 29 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से 30 सितंबर 2022 तक या उसके पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु केवल 6 सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखें (2021–2022) प्रस्तुत किए गए। 24 पीएसयू द्वारा कुल 40 लेखें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के उल्लंघन में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण **तालिका 5.15** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15: बकाया लेखों का विवरण

विवरण		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
बकाया लेखों की संख्या		39	1	40
बकाया सीमावधि		5 वर्षों तक	1 वर्ष	–
बकाया विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	–	–	–
	(ii) निष्क्रिय	4	–	4
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	5	–	5
	(iv) अन्य	30	1	31

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निगरानी– लेखों की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारुप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं 250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 29 सरकारी कम्पनियों में से, आठ कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड अकाटटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि पाँच पीएसयूज[13] द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस)/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 29 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 23 विगत वर्षों से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, की गई समीक्षा तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 5.16** में दी गई है।

[13] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिग कम्पनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड।

तालिका 5.16: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनी	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	6	..	6	21	2	23
समीक्षा नहीं की गई	4	..	4	3	..	3
समीक्षा की गई	.	..	..	12	2	14
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	2	.	2	6	..	6
शून्य टिप्पणियां जारी	..	..	..	2	0	2
टिप्पणियां जारी	..	..	..	10	2	12

**30 सितम्बर 2022 की स्थिति में*

समीक्षाधीन अवधि में 12 पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2020–21)	पूंजीगत चालू कार्य में पूर्ण हो चुके पूंजीगत कार्यों के ₹5.08 करोड़ शामिल हैं जिन्हें कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके गैर–पूंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹5.08 करोड़ की सीमा तक पूंजीगत चालू कार्य को अधिक बताया गया है और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹3.71 करोड़ (₹5.08 करोड़ कम मूल्यह्रास ₹1.37 करोड़) की सीमा तक कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹1.37 करोड़ के मूल्यह्रास को भी कम बताया गया और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
2.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (2020–21)	दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम में कंपनी के बिलासपुर के निर्माणाधीन गोदाम के लिए अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं सीमेंट कांक्रीट (सीसी) सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को दिए गए (फरवरी 2021) ₹2.19 करोड़ शामिल नहीं हैं। कंपनी ने इसे दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के बजाय प्रशासनिक, बिक्री और अन्य खर्चों के रूप में मान्यता दी। इसके परिणामस्वरूप व्यय को ₹2.19 करोड़ से अधिक और गैर–चालू संपत्तियों और लाभ को उसी सीमा तक कम बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 11.10.2019 और 28.03.2021 के अनुसार, कंपनी के नियमित कर्मचारियों को अप्रैल 2016 से जून 2016 एवं जुलाई 2016 से सितम्बर 2016 की अवधि का सातवें वेतन आयोग के एरियर के रूप में देय ₹56.29 लाख को कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए लेखो में प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी हितलाभ व्यय, अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹56.29 लाख से कम बताया गया और वर्ष के लिए लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2019-20)	विद्युत क्रय की लागत में सीएसपीडीसीएल और भारतीय रेलवे के बीच बिलिंग विवाद के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए (3 मई 2019) आर्बिटरल निर्णय के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को देय ₹27.63 करोड़ शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्रय की लागत, हानि और चालू देनदारियों को ₹27.63 करोड़ से कम दिखाया गया।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	प्रावधानों में वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2019–20 के लिए आयकर के प्रावधान की राशि ₹ 1.01 करोड़ शामिल है। चूंकि, आयकर रिटर्न दाखिल किया जा चुका है, अतः इसे वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया जाना चाहिए था और इसे अपलेखित कर दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान और अग्रिम कर को ₹1.01 करोड़ से अधिक दिखाया गया।
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2020–21)	अन्य चालू देनदारियों में विभिन्न उपभोक्ताओं से डिपोजिट कार्यों के लिए प्राप्त ₹453.07 करोड़ की राशि शामिल है। कंपनी की लेखांकन प्रथा के अनुसार, डिपोजिट कार्य का परिशोधन 5.28 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाता रहा है। यद्यपि, प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान डिपोजिट कार्यों को परिशोधित करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत 'पूंजीगत अनुदान के परिशोधन' को ₹23.92 करोड़ से कम बताया गया है और उसी सीमा तक 'अन्य चालू देनदारियों' को अधिक बताया गया है।
3	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	व्यापार प्राप्तियों में 31 मार्च 2021 को जिला कार्यालय रायपुर द्वारा लोक शिक्षण संचानालय से वसूली योग्य के रूप में दिखाए गए ₹3.04 करोड़ शामिल हैं। यद्यपि, यह राशि 2017–18 के दौरान पहले ही वसूल की जा चुकी थी और संबंधित वर्ष के लेखो में लेखान्कित की जा चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों और संचय एवं आधिक्य प्रत्येक को ₹3.04 करोड़ से अधिक बताया गया।
4	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया (जनवरी 2020) कि कंपनी कार्य की लागत पर एक प्रतिशत की दर से सुपरविजन चार्ज वसूले और वित्तीय वर्ष में एक बार क्लेम करे। उपरोक्त के उल्लंघन में, कंपनी ने एक प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के अतिरिक्त, ₹1.41 करोड़ की हानि की वसूली सरकार की स्वीकृति के बिना अन्यत्र कर दी, इसके लिए लेखा पुस्तकों में ₹1.41 करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आधिक्य को अधिक बताया गया है, अन्य दीर्घकालिक देनदारियों और हानि को ₹1.41 करोड़ से कम दिखाया गया है।
5	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2018-19)	कंपनी द्वारा प्राप्त ग्रान्ट, टाईड ग्रान्ट हैं, जो कुछ निश्चित शर्तों के साथ परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है और इसलिए इसे, संचय और आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत पूंजी संचय के भाग रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप संचय और आधिक्य को अधिक बताया गया और गैर–चालू देयताओ को ₹248.32 करोड़ से कम बताया गया।
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (2019-20)	पूंजीगत चालू कार्य में ₹2.78 करोड़ रायपुर, जिला सरगुजा में 5400 मीट्रिक टन गोदाम के निर्माण की लागत शामिल हैं। गोदाम का निर्माण 27 फरवरी 2020 को पूरा हो गया था और इसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) को कम बताया गया है और पूंजीगत चालू कार्य को ₹2.78 करोड़ से अधिक बताया गया है और इसके साथ ही मूल्यह्रास और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा है।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र. स.	कंपनी का नाम	*टिप्पणी*
1	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का उचित लेखांकन किय गया गया है और उसका इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है और अव्ययित शेष को अलग से दर्शाया गया है। तथापि, कंपनी ने ₹1.41 करोड़ की निधि का उपयोग सरकार की अनुमति के बिना हानि की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए किया है न कि अभीष्ट उद्देश्य के लिए। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
2	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने बताया कि "कंपनी के पास कोई लंबित कानूनी मामले नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे"। यद्यपि, कंपनी द्वारा शास्ति लगाने से संबंधित चार कानूनी मामले 31 मार्च 2022 की स्थिति में अंतिम रूप से लंबित थे, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक

		तथ्यात्मक रूप से गलत थी।
3	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	कंपनी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुमोदन के बिना वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों को वार्षिक सामान्य सभा में अपनाया। इस तथ्य को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2020–21)	स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अपने अभिमत में बताया कि कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही। यद्यपि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है क्योंकि कंपनी लगातार तीन वर्षों से अधिक समय से हानि में चल रही थी। इसलिए, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का अभिमत उस सीमा तक सही नहीं था।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2021 और सितंबर 2022 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
एएस 12– सरकारी अनुदान	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (2020–21)	कंपनी ने सरकार/मंडी बोर्ड से प्राप्त ₹3.16 करोड़ के अनुदान से ₹3.16 करोड़ के छह गोदाम भवन का अधिग्रहण/निर्माण किया। संपत्तियों को सरकार/मंडी बोर्ड से प्राप्त पूरी लागत के रूप में प्रत्येक गोदाम भवन के लिए ₹ 1 की मामूली लागत पर पूंजीकृत किया गया था। तथापि, ऐसे अनुदान के लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को लेखांकन मानक के एएस–12 के अनुसार लेखा पुस्तकों में प्रकट नहीं किया गया था। इस प्रकार, लेखा बही उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
एएस 4– वित्तीय स्थिति विवरण के बाद होने वाली घटनाएं एवं आकस्मिक व्यय	छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (2020–21)	प्रावधानों में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रस्तावित लाभांश के प्रावधान की राशि ₹80.77 लाख शामिल है। हालांकि, आईसीएआई द्वारा लेखांकन मानक – 4 में किए गए संशोधन के अनुसार, किसी वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश तब तक देयता नहीं है जब तक कि इसे शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। प्रस्तावित लाभांश को देयता के रूप में पहचानने के बजाय कंपनी को इसे लेखों के लिए टिप्पणियों में प्रकट करना चाहिए था। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप प्रावधान को ₹80.77 लाख से अधिक बताया गया और लाभ को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उतरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 की अवधि के दौरान तीन[14] सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थी :

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2022 तक, एक सांविधिक निगम सहित 30 सार्वजनिक उपक्रम थे। 30 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 28 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2022 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2021–22 के दौरान, इन 25 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹42,147.03 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 10.53 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योगदान 2021–22 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर के लगभग 57 प्रतिशत है।

31 मार्च 2022 के अंत में राज्य सरकार का 30 पीएसयूज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹7,431.18 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण पिछले वर्ष (2019–20) के ₹12,789.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक ₹13,377.97 करोड़ हो गये।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 11 पीएसयूज द्वारा 2021–22 में अर्जित लाभ ₹932.01 करोड़ रुपये था, जबकि 2019–20 में 14 पीएसयूज ने ₹683.32 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹570.38 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹153.90 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम (₹143.04 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। 11 पीएसयूज को हुई कुल ₹439.99 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹419.77 करोड़) की थी।

30 पीएसयूज में से, 24 पीएसयूज (23 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2021–22 के लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयूज, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 24 पीएसयूज के 40 लेखे बकाया थे।

[14] केरवा कोल लिमिटेड, उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (2019–20 और 2020–21) और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

5.18 अनुशंसाएं

(i) छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयूज के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(ii) छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग–अलग पीएसयूज के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

(iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।

रायपुर
दिनांकः 29 मार्च 2023

(यशवंत कुमार)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांकः 31 मार्च 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक